नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पी/1, नयापल्ली, नालको भवन
भुवनेश्वर - 751013

विज्ञापन सं. 10200101

वित्तीय अनुशासन हेतु प्रबंधन प्रशिक्षु तथा सहायक प्रबंधकों की आवश्यकता

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), एक नवरत्न कम्पनी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला, ₹11386 करोड़ से अधिक के वर्तमान कारोबार के साथ एशिया का वृहत्तम एकीकृत एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संकुल है तथा भारत के अन्दर और विश्व भर में आगे और विकास तथा विस्तार के लिए अग्रसर है। यह कंपनी निर्यात के क्षेत्र में प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस की पदवी धारी है और अपने शेयरधारकों को उल्लेखनीय मूल्य वर्द्धन देने सहित इसने अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए अनेक प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार जीते हैं। भुवनेश्वर, ओड़िशा में निगम कार्यालय के साथ इसके संयंत्र और कार्यालय बहु-अवस्थिति वाले हैं। यह कंपनी सक्षम मानव संसाधनों और "लोक केंद्रित" अभिगम वाले अभ्यासों के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता उपलब्ध करने में विश्वास करती है। धातु एवं ऊर्जा क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित कंपनी बनने की अपनी संकल्पना को हासिल करने के लिए, नालको निम्न पदों हेतु वित्त विभाग हेतु समर्पित, प्रतिभाशाली और परिणाम उन्मुख उम्मीदवारों की तलाश कर रही है।

- प्रबंधन प्रशिक्षु (वित्त)-ई00 — कुल पद 08 (अना.-05, अन्य पिछड़ा वर्ग-02, अनु.जा.-01)
- सहायक प्रबंधक (वित्त) – ई02 — कुल पद 04 (अना.-03,अन्य पिछड़ा वर्ग-01)
  जिस श्रेणी में आरक्षण नहीं है, उस श्रेणी विशेष के उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवारों के तौर पर लिया जाएगा।
  [उपरोक्त 12 पदो में से, 01 पद दिव्यांग व्यक्ति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा।]

(क) प्रबंधन प्रशिक्षु (वेतनमान - ₹40000-3%-140000):

I) **शैक्षणिक योग्यता:**
वित्त : आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा आईसीएआई से कॉस्ट एकाउंटेंट (सीएमए)

II) **ऊपरी आयु सीमा:** 30 वर्ष (**19.02.2020** के अनुसार)

III) **चयन प्रक्रिया:**
उम्मीदवारों का चयन चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट एकाउंटेंट की इंटर और फाइनल दोनों परीक्षाओं में उनके द्वारा अर्जित अंकों और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट एकाउंटेंट की इंटर और फाइनल परीक्षा दोनों के सभी पत्रों में उनके द्वारा सुरक्षित अंकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्तियों की कुल संख्या के 1:10 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। **इस प्रयोजन के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ इंटर और फाइनल दोनों के सभी अंकपत्र और उत्तीर्ण अंकपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रेषित करनी होंगी।**

IV) **प्रतिपूर्ति पैकेज:**

चुने गए प्रत्याशी को एक वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान ₹ 40000- 3% - 140000/- के वेतनमान में तैनात किया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर अर्थात् बशर्ते कि कंपनी में लागू और समय-समय पर संशोधित, आवश्यक कार्य निष्पादन संबंधी/ अन्य मानदण्ड पूरे किए गए हों, उन्हें ई1 ग्रेड में वेतनमान ₹60000-3%-180000/- में कनिष्ठ प्रबंधक के रूप में समाविष्ट किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान/ समावेशन के बाद समय-समय पर कंपनी में लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, कैफेटेरिया शीर्ष के तहत अनुलाभ, मकान किराया भत्ता, स्वयं तथा आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा तथा सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अंशदायी भविष्य निधि, अनुदान (ग्रेच्युटी) आदि पाने के हकदार होंगे।

V) **सेवा राजीनामा एवं तैनाती**:

चयनित उम्मीदवार को कार्यग्रहण के समय ₹1500/- के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर ₹ 3,00,000/- या ₹ 4,00,000/- (विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए) का एक सेवा राजीनामा बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वह एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद न्यूनतम 04 (चार) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी की सेवा करेगा। कंपनी की प्रशिक्षण नीति के अनुसार, चुने गए प्रत्याशी को कंपनी की विभिन्न अवस्थितियों में एक वर्ष के लिए कार्य-पर प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान और/या समावेशन के बाद, प्रत्याशी को भारत या विदेश में नालको के किसी भी एकक/ कार्यालय आदि या नालको के किसी सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ व्यवसायिक-सहयोगी में तैनात किया जा सकता है और इसके बाद उसकी सेवा कंपनी की आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण योग्य होगी। चयनित प्रत्याशी को कंपनी की व्यवसायित आवश्यकता के अनुसार कार्य/ काम/जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

VI) **आवेदन शुल्क** (**अप्रतिदेय**): ₹ 500/-. (अनुसूचित जाति तथा दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।

(ख) सहायक प्रबंधक (वित्त) – वेतनमान: ₹ 70000-3%-200000/-

I) **शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:**

आईसीएआई से सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) या आईसीएआई से कॉस्ट एकाउंटेंट (सीएमए) के साथ किसी भी विषय में डिग्री। उम्मीदवारों के पास तालिका- II में उल्लेखानुसार सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों या प्रतिष्ठित / अग्रणी संगठनों में कार्यपालक / अधिकारी के रूप में आवश्यक वर्षों का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। बिक्री लेखा, कोषागार, कोष प्रबंधन और निवेश प्रस्ताव, समझौता वार्ता / बिलों की छूट, लागत, परियोजना लेखांकन, एमआईएस, बजट नियंत्रण, वार्षिक खातों का संकलन और उसके बाद लेखा परीक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, निविदा प्रक्रिया, कम्प्यूटरीकृत खाते, जोखिम प्रबंधन, आदि वांछनीय है। ईआरपी में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

II) उम्मीदवारों के पास ठीक नीचे स्तर/ ग्रेड का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए तथा निम्नानुसार वेतनमान/सी.टी.सी. होना चाहिए।

क्षेत्र	**19.02.2020** के अनुसार वांछित वेतनमान/ सी.टी.सी	**(19.02.2020** के अनुसार**)** कार्यपालक ग्रेड का अनुभव	**(19.02.2020** के अनुसार**)** ऊपरी आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	₹24900-3%-50500/- (पूर्व संशोधित) ₹60000-3%-180000/- (संशोधित)	4 वर्ष	44

केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	₹15600-39100/- जीपी :₹5400/- (पूर्व संशोधित) लेवल-10 : पे मैट्रिक्स- ₹56100-73200/- (संशोधित)		
निजी क्षेत्र सहित जो कॉलम (2) के अनुसार वेतनमान में नहीं है।	वार्षिक सी.टी.सी.: ₹14 लाख		

III) **प्रतिपूर्ति:** कंपनी के नियम के अनुसार, मूल वेतन के अतिरिक्त औद्योगिक महंगाई भत्ता की संरचना में महंगाई भत्ता (वर्तमान में, मूल वेतन का 17.2%) अन्य लाभों में भत्ते (मूल वेतन का 35%), कंपनी व व्यक्तिगत के प्रदर्शन के अनुसार निष्पादन संबंधी भत्ता, कंपनी आवास या मकान किराया भत्ता, स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, अवकाश नकदीकरण, नई पेंशन योजना, अंशदायी भविष्य निधि, सामूहिक बीमा, अनुदान (ग्रेच्युटी) आदि।

IV) **चयन प्रक्रिया:**

(अ) उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन सामूहिक चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से क्रमशः 25% और 75% के अधिभार के साथ किया जाएगा। सामूहिक चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार, संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों की भर्ती, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

(आ) प्रबंधन के पास आवश्यकता अनुसार, न्यूनतम योग्यता शर्तों को बढ़ाने और/अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार होगा।

V) **तैनाती**:

परिवीक्षा अवधि के दौरान और/ अथवा समावेशन के बाद, चयनित कार्यपालकों को भारत में कहीं भी नालको प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाएगा और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण योग्य होगा। चयनित कार्यपालकों को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनके क्षेत्र से संबंधित कार्य / काम /जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

VI) **आवेदन शुल्क** (**अप्रतिदेय**): ₹ 100/-. (अनुसूचित जाति तथा दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।

सामान्य शर्तें

चिकित्सकीय स्वास्थ्य

- चयनित उम्मीदवारों का कंपनी के चिकित्सकीय नियमों पर चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है । कंपनी के चिकित्सकीय नियमों में निर्धारित चिकित्सकीय मानको में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

आरक्षण एवं रियायतें

- सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग(40% या अधिक विकलांगता स्तर) के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण/रियायत लागू होगी। कुल पदों की संख्या में वृद्धि या कमी होने के मामले में, सरकारी निर्देशों के अनुसरण में आरक्षित संवर्गों के पदों की संख्या में परिवर्तन होगा।
- दिव्यांग प्रत्याशी को, इस उद्देश्य के लिए अधिकार संपन्न मेडिकल पैनल, जिसमें सरकारी अस्पताल या विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से जुड़े मेडिकल बोर्ड के 3 मेडिकल प्रैक्टिशनरों को शामिल किया गया हो, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व मोहर लगा हुआ वैध विकलांगता प्रमाणपत्र पेश करना होगा।

- ❖ ऑनलाइन प्रपत्र में एक बार भर दिये गए अ.जा./अ.पि.व./दिव्यांग संवर्ग को बदला नहीं जा सकेगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, आरक्षित संवर्ग के प्रत्याशियों को भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- ❖ यदि अनुसूचित जाति/ अ.पि.व./ दिव्यांग प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा में जारी किया गया हो तो प्रत्याशी को इसकी अंग्रेजी या हिंदी में अनुदित स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।
- ❖ अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के प्रत्याशी जो "क्रीमी लेयर" के हैं, अन्य पिछड़ी जाति के लिए लागू रियायत पाने के हकदार नहीं होंगे और ऐसे प्रत्याशियों को अपना संवर्ग अनारक्षित (यूआर) के रूप में प्रदर्शित करना होगा। अन्य पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमी लेयर) के प्रत्याशियों को भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालू वर्ष के दौरान जारी आवश्यक प्रमाणपत्र जमा करना होगा। अन्य पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र में सूचित जाति और समुदाय का नाम अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अवश्य प्रदर्शित होना चाहिए। और फिर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, अन्य पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को, यह सूचित करते हुए कि वे अन्य पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमी लेयर) के हैं, एक स्व-वचन पत्र प्रदान करना होगा।
- ❖ ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष, दिव्यांग-अनारक्षित वर्ग के लिए 10 वर्ष, और दिव्यांग- अन्य पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 13 वर्ष तथा दिव्यांग-अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए 15 वर्षों की रियायत दी जाती है। तथापि, दिव्यांग प्रत्याशियों के संबंध में अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 56 वर्ष है।
- ❖ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक मूलतः निवास करने वाले प्रत्याशियों के लिए आयु में पाँच वर्षों की रियायत दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों और 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रियायत मिलेगी।

आंतरिक प्रत्याशियों हेतु

- ❖ आंतरिक प्रत्याशियों हेतु ऊपरी आयु सीमा तथा आवेदन शुल्क नहीं होगा। तथापि, उनके मामले कंपनी नियमों के अनुसार शासित होंगे।

भुगतान कैसे करे:
चरण-1 :

- www.nalcoindia.com पर नालको के पेशा पृष्ठ पर जाएँ।
- योग्यता के बारे में सुनिश्चित करने होने के लिए विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- योग्य होने पर “भुगतान करें” लिंक पर क्लिक करें

चरण-2 :

- लिंक आपको एसबीआई के स्टेट बैंक कलेक्ट पृष्ठ पर ले जाएगी, जिन्हें नालको की ओर से आवेदन शुल्क/प्रक्रमण शुल्क संग्रह करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- निगम/संस्थान के राज्य के अंतर्गत “ओड़िशा” का व निगम/संस्थान की श्रेणी के अंतर्गत “पीएसयू-पब्लिक सेक्टर” का चयन करें।
- भुगतान श्रेणी का चयन करें और "वित्त कार्यपालको हेतु नालको भर्ती" को चुनें।
- भुगतान पोर्टल पर आपेक्षानुसार नाम, अनुशासन, संवर्ग, जन्म की तारीख, पंजीकृत ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर भरें और जमा (सबमिट) करें। सुनिश्चित करें कि समस्त पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वही ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर उपयोग हुए हों।

- अगली स्क्रीन – सुनिश्चिति पृष्ठ पर प्रत्याशी द्वारा भरे गए सारे विवरण प्रदर्शित होंगे। भुगतान करने से पूर्व सत्यता सुनिश्चित कर लें। अब भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे को सक्रिय करने के लिए "कनफर्म" बटन पर क्लिक करें। प्रत्याशी द्वारा गलत विवरण के साथ शुल्क के भुगतान किए जाने के मामले में, नालको या एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपलब्ध किसी भी विकल्प यथा-नेट बैंकिग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। **कृपया नोट करें कि बैंक प्रभार, यदि कोई हो, नालको वहन करेगी।**
- सफल भुगतान होने पर पीडीएफ प्रारूप में एक ई-रसीद सृजित होगी। प्रत्याशी को एसबी कलेक्ट रिफरेंस नंबर के साथ ई-रसीद को प्रिंट करने के लिए प्रोत्साहन निदेश मिलेगा। रिफरेंस नंबर को नोट कर लें क्योंकि अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया के चरण-3 के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी। स्टेट बैंक कलेक्ट में उपलब्ध "पेमेंट हिस्ट्री" विकल्प से बाद में भी ई-रसीद सृजित/मुद्रित किया जा सकता है।
- यदि, वैध भुगतान विवरण के साथ एक प्रत्याशी अंतिम तौर पर आवेदन प्रपत्र जमा नहीं करता है, तो आवेदन अपूर्ण समझा जाएगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। इस हेतु नालको जिम्मेवार नहीं होगी।

चरण-3 :

- एक बार भुगतान हो जाने पर, आवेदकों को नालको के वेबसाइट के पेशा पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरण भरने के लिए मुख्य आवेदन प्रपत्र में स्टेट बैंक कलेक्ट संदर्भ संख्या और भुगतान की तारीख दर्ज करने की जरूरत होगी।
- गलत प्रविष्टि होने पर भुगतान विवरण के संपादन अथवा बुलावा पत्र जारी किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा व उसकी पात्रता रद्द हो जाएगी।

आवेदन कैसे करें :

- ❖ प्रत्याशी को नालको की वेबसाईट (www.nalcoindia.com) के पेशा अनुभाग में **19.02.2020** से **18.03.2020** के बीच ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। प्रत्याशी ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें, ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ें तथा सही सूचना प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरें। यदि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रत्याशी को पुनः पंजीकरण करना होगा। **किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा सीधे तौर रद्द कर दिए जाएंगे।**
- ❖ प्रत्याशी द्वारा एक बार सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए विवरण में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय, प्रत्याशी को अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। यदि प्रत्याशी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया किया जाता है, तो उसे ऑनलाइन प्रपत्र में प्रविष्टित विवरण अनुसार अपने मूल प्रमाणपत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- ❖ आवेदन प्रपत्र के ऑनलाइन पंजीकरण तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात, प्रत्याशियों द्वारा आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट-आउट प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपलोड की गई रंगीन फोटोग्राफ के समान एक पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाई जाए।
- ❖ आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात, प्रत्याशियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई जानकारी के समर्थन में सभी दस्तावेज जैसे कि योग्यता, आयु, अनुभव, वेतनमान/परिलब्धियाँ, सीटीसी की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ डाउलोड किये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति भर्ती प्रकोष्ठ, मा.सं.वि. विभाग, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओड़िशा को, डाक द्वारा तत्काल प्राप्त होनी चाहिए। आवेदन की मूल प्रति भेजने के लिए उपयोग होने वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदित/पंजीकृत न होने पर मैनुअल/पेपर आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदित के आयु, योग्यता, अनुभव, वेतनमान/परिलब्धियों के समर्थन के सभी दस्तावेजों ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक **25.03.2020** तक निर्धारित पते पर अवश्य पहुँचना चाहिए।

- ❖ यह भी नोट किया जाए कि, उम्मीदवारों के केवल सॉफ्ट प्रति में आवेदन विचारणीय नहीं होंगे तथा सीधे तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे, यदि आवेदन प्रपत्र की मूल प्रति के साथ अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाएगी।
- ❖ प्रणाली-गत दोष अथवा अन्य किसी भी कारण से अंतिम तिथि तक किसी भी प्रत्याशी द्वारा आवेदन प्रस्तुत न कर पाने पर, नालको उत्तरदायी नहीं होगा।
- ❖ केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

प्रत्याशियों हेतु अनुदेश :

- ❖ प्रत्याशी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता तथा अन्य शर्तें पूरा करते हैं। मात्र आवेदन प्रस्तुत करना अथवा विज्ञापित विनिर्देशों को पूरा करना उम्मीदवारों को इस पद के लिए हकदार नहीं बनाता है। भर्ती/ चयन/ नियुक्ति के बाद भी किसी चरण में यह पाया जाए कि प्रत्याशी योग्यता मानकों को पूरा नहीं करता और/ या उसने कोई गलत/ झूठी सूचना पेश की है या किसी तथ्य(यों) को दबाया है, तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति स्वतः रूप से रद्द हो जाएगी, क्योंकि उम्मीदवारी/ नियुक्ति आरंभ से ही निरस्त मानी जाएगी।
- ❖ आवेदन प्रपत्र में दर्ज ई-मेल आईडी एक वर्ष के लिए अवश्य वैध रखनी होगी। प्रत्याशी के साथ सभी भावी पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। अवैध/गलत ई-मेल आईडी या अन्य किसी कारण से किसी हानि/भेजे गए ई-मेल/अन्य कोई पत्राचार वितरित नहीं होने के लिए नालको जिम्मेदार नहीं होगी।
- ❖ प्रबंधन प्रशिक्षु के साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाए गए प्रबंधन प्रशिक्षु के उम्मीदवारों को ॥ स्लीपर तथा ई02 पद के साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को ॥ श्रेणी के वातानुकूलित (स्लीपर) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित पत्राचार के पता से सबसे छोटे रूट से साक्षात्कार हेतु आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति टिकट/ यात्रा प्रमाण की प्रति उपलब्ध कराने पर की जाएगी। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बाद में पत्राचार के पते में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी, जो साक्षात्कार हेतु अंत में उपयुक्त पाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि साक्षात्कार की तिथि दस्तावेज़ों की जांच के दौरान किन्हीं कारणों से किसी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है/ दस्तावेज उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, उन्हें यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- ❖ नालको न्यूनतम योग्यता मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रबंधन के पास बिना कोई कारण बताए उपरोक्त किसी पद को भरने या ना भरने का अधिकार है। नालको के पास आवश्यकतानुसार बिना कोई सूचना दिए या बिना कोई कारण दर्शाए, नालको भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/ परिवर्तित/संशोधित करने तथा विज्ञप्ति पदों की संख्या को घटाने या बढ़ाने का अधिकार भी होगा।
- ❖ किसी भी रूप में प्रत्याशी द्वारा अनुयाचन उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य कर देगा।
- ❖ उक्त भर्ती संबंधी किसी भी विवाद का निपटान केवल भुवनेश्वर न्यायिक क्षेत्र में होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां:

1 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि **19.02.2020**

2 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **18.03.2020**

3 आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन की हार्डकॉपी प्राप्ति की अंतिम तिथि **25.03.2020**

सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.वि.)